राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....(1 से 5) 2270, 2271, 2272, 2273 एवं 2274/2016 ....जिला..........जयपुर.. ....

उनवान – गैसर्स श्री सांई रेमेडीज, 4ए राधाकृष्ण नगर, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री मदनलाल, सदस्य

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

10.11.2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.एल.शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उक्त पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 तथा 65 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पाचों अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	वित्तीय वर्ष	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	शेष बकाया मांग राशि
1	2	3	4	5
2270/16	10–11	27,70,599/–	15,30,718/–	12,39,881/–
2271/16	11–12	23,53,286/–	13,44,734/–	10,08,452/–
2272/16	12–13	25,18,279/–	14,90,106/–	10,28,173/–
2273/16	13–14	1,85,027/–	1,13,512/–	71,515/–
2274/16	14–15	1,24,636/–	37,066/–	87,570/–

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत M/s Deys Medical stores V/s Commercial Taxs Officer, Jaipur (1998) Vol. I Sales Tax Today Page 196 RTT तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के Banphool Hair Oil के निर्णयों के उद्धरण पेश कर प्रस्तुत कर बकाया मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वित्तिय वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि में आलौच्य अवधि में शक्तिवर्धक उत्पादों/कॉस्मेटिक (Speed Health Capsule, Speed Height Capsule, Japaneese Oil, Mast Kalandar Oil, Power plus Capsule etc.) का विक्रय किया गया।

लगातार..............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या (1 से 5) 2270, 2271, 2272, 2273 एवं 2274/2016 ....जिला..........जयपुर.. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2016	अपीलार्थी द्वारा शक्तिवर्धक/कॉस्मेटिक उत्पादों का विक्रय 5% की दर से किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिकित माल शक्तिवर्धक/कॉस्मेटिक उत्पादों को सामान्य दर से कर योग्य होना मानकर करारोपण किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि वैट शिड्यूल IV की Entry No. 43 में Drugs and medicines including vaccines, syringe and dressing medicated ointment produced under Drugs License and Light Liquid Paraffin of I.P. Grade Excluding goods specified in entry no- 67 of schedule V" वस्तुए आती है जो 5% से कर योग्य है तथा उसका विवादित उत्पाद आयुर्वेदिक दवाईयां है इनका निर्माण Durgs and consmetics Act के अन्तर्गत जारी लाइसेंस के तहत किया गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक के उक्त प्रकरणों में रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात जापानी ऑयल एवं मस्त कलन्दर ऑयल की बिक्री पर आरोपित कर व ब्याज के अलावा गुणावगुण को प्रभावित किये बिना विवादित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे तथा जापानी ऑयल एवं मस्त कलन्दर की बिक्री पर आरोपित कर व ब्याज पर देय राशि जमा करायेगें। शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के एक माह में उक्त अपीलों पर नितप्रतिदिन सुनवाई करते हुए उनके समक्ष लम्बित प्रकरणों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उक्त अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 10/11/16 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 10.11.2016 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	